छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

दिनांक 23/09/17

क्रमांक 56 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" में संचालित योजना क्रमांक 33, दिनांक 06–01–2014 **"निर्माण महिला मजदूर स्व–सहायता योजना"** में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है।

निर्माण महिला मजदूर स्व–सहायता योजना–

(ब) **योजना का उद्देश्य–**

(i) इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य से जुड़े महिला मजदूर को आत्मनिर्भर बनाने एवं "मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना" के तहत् महिला श्रमिकों को प्रदाय किए गए सिलाई मशीनों की वास्तविक उपयोगिता के दृष्टिकोण से प्रत्येक जिलों में स्व–सहायता समूह बनाया जाकर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाना एवं प्रशिक्षण उपरांत व्यवसायिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाना है, के स्थान पर–

- योजना के तहत् मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत् किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण उपरांत समूह को प्रशिक्षित ट्रेड में व्यवसाय करने हेतु मंडल द्वारा रूपये 50 हजार ब्याज रहित ऋण प्रदाय किया जावेगा, जो 03 वर्ष के भीतर वापस करना बाध्यकारी होगा।

(द) **योजना का कियान्वयन–**

(iv) प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक स्व–सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु एक बार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 25,000/– का ब्याजरहित ऋण प्रदाय किया

जावेगा, जो 03 वर्ष के भीतर "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" को वापस करना बाध्यकारी होगा के स्थान पर–

- योजना के तहत् मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत् किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण उपरांत समूह को प्रशिक्षित ट्रेड में व्यवसाय करने हेतु मंडल द्वारा रूपये 50 हजार ब्याज रहित ऋण प्रदाय किया जावेगा, जो 03 वर्ष के भीतर वापस करना बाध्यकारी होगा।

(द) **योजना का कियान्वयन–**

(i) योजना के कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर पात्र 10 पंजीकृत महिला श्रमिकों का स्व–सहायता समूह बनाया जावेगा, जिसका पंजीयन श्रम विभाग द्वारा भी किया जावेगा, के स्थान पर–

- योजना के तहत् 50 प्रतिशत पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं 50 प्रतिशत अन्य श्रमिक मिलाकर समूह का निर्माण किया जावेगा। जिसके समूह का पंजीयन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भी किया जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

प्रतिलिपि :– 5.क्र - 2033-2042 दिनांक - 23/9/17

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

9. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

10. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर